

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 10.6.2015


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.738 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Lata-Lata mandir motor road Km 0-500 to 4.00, Length 1.50 Km. Under State Sector (T.S.P.) at Joshimath Block in District- Chamoli. Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Joshimath Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.738 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature


(Ashok Kumar)
(District Magistrate Chamoli)
जिलाधिकारी
चमोली

7

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 16.6.2015 at time 14.00/m at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.38 Hect of civil land for the Construction of Lata-Lata mandir motor road Km 0-500 to 4.00, Length 1.50 Km. Under State Sector (T.S.P.) at Joshimath Block in District- Chamoli forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Joshimath sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated:.....

Signature



(Ashok Kumar)
(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में टी0 एस0 पी0 राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम लाता-लाता मन्दिर मोटर मार्ग के किमी 0.00 से 4.00(लम्बाई 1.50किमी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी जोशीमठ
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में टी0 एस0 पी0 राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम लाता-लाता मन्दिर मोटर मार्ग के किमी 0.00 से 4.00(लम्बाई 1.50 किमी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.738 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 2-2-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1- श्री. <u>अनूप कुमार नौदिया</u> | उपजिलाधिकारी | |
| 2- श्री. <u>सुरेश कुमार दुबे</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | अध्यक्ष |
| 3- श्री. <u>विजय प्रसाद पुरोहित</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, | सदस्य |
| 4- श्री. <u>महेश सिंह</u> | बी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य/सचिव |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में टी0 एस0 पी0 राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम लाता-लाता मन्दिर मोटर मार्ग के किमी 0.00 से 4.00 (लम्बाई 1.50किमी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.738 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।


सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।






उपजिलाधिकारी
अध्यक्ष

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य


सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव


बी.डी.सी. क्षेत्र
सदस्य

विकास खण्ड जोशीमठ

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में टी0एस0पी0 (राज्य योजना) के अन्तर्गत ग्राम लता-लाता मन्दिर मोटर मार्ग के किमी0 0.00 से 4.00 (लम्बाई 1.50 किमी0) तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक... 15/12/2014... को ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्न लिखित सदस्य उपस्थित हुये

क्रम संख्या	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री धन सिंह राणा (पूर्व प्रधान)	धन सिंह
2	श्री परमान सिंह रावत	परमान
3	श्री कल्याण सिंह रावत	कल्याण
4	श्री लक्ष्मण सिंह धुरेल्ला	लक्ष्मण
5	श्री प्रेम सिंह रावत (सरपंच)	प्रेम सिंह
6	श्री रविन्द्र सिंह रावत	रविन्द्र सिंह
7	श्री परम सिंह धुरेल्ला	परम सिंह
8	श्रीमती शंकर देवी रावत	शंकर देवी
9	श्रीमती अमरा देवी	अमरा देवी
10	श्रीमती राजकु देवी	राजकु देवी
11	श्रीमती देवदेवी देवी	देवदेवी देवी
12	श्री नर्या सिंह	नर्या सिंह
13	" विजयपाल सिंह धुरेल्ला	विजयपाल सिंह
14	" रघुशाला सिंह धुरेल्ला	रघुशाला सिंह
15	" रघु सिंह धुरेल्ला	रघु सिंह
16	" वाला सिंह धुरेल्ला	वाला सिंह
17	श्रीमती पार्वती देवी	पार्वती देवी
18	श्रीमती शाला देवी	शाला देवी
19	श्री जोगिन्द्र सिंह राणा	जोगिन्द्र सिंह
20	" भावतार सिंह राणा	भावतार सिंह
21	" मेधा सिंह धुरेल्ला	मेधा सिंह
22	" प्रियान सिंह धुरेल्ला	प्रियान सिंह
23	" नन्दन सिंह राणा	नन्दन सिंह
24	श्रीमती पानी देवी धुरेल्ला	पानी देवी
25	श्रीमती शुक्ली देवी धुरेल्ला	शुक्ली देवी
26	श्रीमती सरस्वती देवी	सरस्वती देवी
27	श्री रामचन्द्र सिंह धुरेल्ला	रामचन्द्र सिंह
28	" कुंवर सिंह राणा	कुंवर सिंह
29	" महेन्द्र सिंह राणा	महेन्द्र सिंह
30	श्रीमती लीला देवी	लीला देवी
31	श्रीमती सरस्वती देवी	सरस्वती देवी
32	श्रीमती पुसली देवी	पुसली देवी
33	श्रीमती भागी देवी	भागी देवी
34	श्रीमती पार्वती देवी	पार्वती देवी
35	श्रीमती सरीता देवी	सरीता देवी

